



JALAUN POLICE

दिनांक – 24.09.2026

थाना रेंदर पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत गस्त/चेकिंग के दौरान थाना रेंदर पुलिस द्वारा जिला बदर अभि० पवन सिंह गुर्जर पुत्र गोविन्द सिंह नि०ग्राम मानपुरा थाना रेंदर जनपद जालौन को 01 अदद तमंचा 12 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पवन सिंह उपरोक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद जालौन से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। किन्तु अभियुक्त पवन सिंह उपरोक्त उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा के भीतर अवैध शस्त्र के साथ पाया गया है। जिलाबदर अभियुक्त पवन सिंह की गिरफ्तारी व अवैध असलहा की बरामदगी के संबन्ध में थाना रेंदर पर मु०अ०सं० 84/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- पवन सिंह गुर्जर पुत्र गोविन्द सिंह उम्र करीब 39 वर्ष नि० ग्राम मानपुरा थाना रेंदर जनपद जालौन

अभि० पवन सिंह गुर्जर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं०-78/2016 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना रेंदर जनपद जालौन

02. एनसीआर 25/16 धारा 323/504 भादवि थाना रेंदर जनपद जालौन

03. मु०अ०सं० 46/25 धारा 351(3)/70(1) बीएनएस, 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना रेंदर जिला जालौन

04. मु०अ०सं०-113/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रेंदर जनपद जालौन

05- मु०अ०सं०- 52/26 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना रेंदर जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी रेंदर मय पुलिस टीम।